No. 03-02/2017-SPB-I
Government of India
Ministry of Communications
Department of Posts

Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi, dated 24.09.2018

To,

1. All Chief Postmasters General
2. All Postmasters General
3. Director, PSCI, Ghaziabad

Subject: Department of Posts Postman and Mail Guard (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2018

Madam/Sir,

I am directed to forward herewith a copy of recruitment rules for the post of Postman and Mail Guard dated 20.09.2018 notified in the Official Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i).

2. It is requested that the provisions of recruitment rules may be brought to the notice of all concerned.

Yours faithfully,

Encl: As above

(Satya Narayana Dash)
Assistant Director General (SPN)

Copy for information to:

1. Secretary (Posts)
2. Secretary (PSB)
3. All Members of the Postal Service Board
4. CGM (BD) / CGM (MB) / CGM (PLI)
5. All Deputy Directors General
6. Director, RAKNPA Ghaziabad
7. SPB-II Section/ GDS Section/ DE Section
8. Director (CEPT), Mysore for uploading the letter along with the Recruitment Rules of Postman and Mail Guard in the India Post website.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 664] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 20, 2018/भाद्र 29, 1940

No. 664] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 20, 2018/BHADRA 29, 1940

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 899(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक विभाग (पोस्टमैन और मेलगार्ड) भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, संचार मंत्रालय के डाक विभाग में पोस्टमैन और मेलगार्ड के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **सक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग, पोस्टमैन और मेलगार्ड (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 होगा।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति.—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. सेना डाक सेवा में सेवा प्रदान करने हेतु भर्ती.—विनिर्दिष्ट अनुसूची में उल्लिखित पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति होने पर, वह भारत या विदेश में, जैसा भी अपेक्षित होगा, सेना डाक सेवा में कार्य करने का पात्र होगा।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु-सीमा और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8
1. पोस्टमैन	45899* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 3 (21700-69100 रू.)	अचयन	(i) 18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिल की जा सकती है)।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास (ii) संबंधित राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र की स्थानीय भाषा	नहीं

					टिप्पण: (i) आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए विहित की गई है)। (ii) ग्रामीण डाक सेवकों* के लिए आयु सीमा रिक्ति (रिक्तियों) वाले वर्ष की पहली जनवरी को पचास वर्ष अथवा भारत सरकार समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार है (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबद्ध उम्मीदवारों के लिए पांच वर्ष तक की छूट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष तक की छूट प्राप्त है)। *ग्रामीण डाक सेवक सिविल पद धारक हैं परन्तु वे नियमित सिविल सेवा से बाहर हैं जिसके कारण उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा होगी।	की जानकारी। अभ्यर्थी ने 10वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा का अध्ययन किया हो। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की स्थानीय भाषा वही होगी, जो डाक विभाग द्वारा प्रकाशित की गई हो। (iii) कंप्यूटर पर कार्य करने संबंधी जानकारी। (iv) उम्मीदवार के पास द्विपहिया अथवा हल्के मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए। दिव्यांग जनों को लाइसेंस धारित करने की शर्त से छूट दी जा सकती है।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जानी वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
9	10	11	12	13
सीधी भर्ती के मामले में : दो वर्ष तथा	(i) 25% भर्ती करने वाले डाक प्रभाग के बहुकार्य कर्मचारिवृन्द में से ज्येष्ठता और फिटनेस के आधार पर प्रोन्नति द्वारा,	(i) रिक्ति वाले वर्ष की पहली जनवरी को वेतन मेट्रिक्स के स्तर-1 में	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि पर विचार करने के लिए):	लागू नहीं होता

डाक विभाग द्वारा विहित अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	जिसके न हो सकने पर बिना भरी गई रिक्तियों को नीचे (iii) पर दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा; (ii) (क) 25% भर्ती करने वाले डाक प्रभाग के बहुकार्य कर्मचारिवृंद में से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर;- (ख) सर्कल के अन्य सभी डाक प्रभागों के बहुकार्य कर्मचारिवृंद में से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर;- (ग) सर्कल के रेल मेल सेवा प्रभागों के बहुकार्य कर्मचारिवृन्द में से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर बिना भरी गई रिक्तियों को नीचे (iii) पर दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा; (iii) (क) 50% भर्ती करने वाले डाक प्रभाग के ऐसे ग्रामीण डाक सेवकों* के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा, जिन्होंने रिक्ति वाले वर्ष की पहली जनवरी को इस क्षमता के साथ कम से कम पांच वर्ष तक अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य किया हो, जिसके न हो सकने पर; (ख) सर्कल के अन्य सभी डाक प्रभागों के ऐसे ग्रामीण डाक सेवकों* के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा, जिन्होंने रिक्ति वाले वर्ष की पहली जनवरी को इस क्षमता के साथ कम से कम पांच वर्ष तक नियमित सेवा की हो अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया हो, जिसके न हो सकने पर; (ग) सर्कल के सभी रेल मेल सेवा प्रभागों के ऐसे ग्रामीण डाक सेवकों* के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा, जिन्होंने रिक्ति वाले वर्ष की पहली जनवरी को इस क्षमता के साथ कम से कम पांच वर्ष तक नियमित सेवा की हो अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया हो, जिसके न हो सकने पर;	बहुकार्य कर्मचारिवृंद के रूप में छः वर्ष की नियमित सेवा के साथ अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ज्येष्ठता-सह-स्वस्थता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा। (ii) रिक्ति वाले वर्ष की पहली जनवरी को वेतन मेट्रिक्स के स्तर-1 में बहुकार्य कर्मचारिवृंद के रूप में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सीमित विभागीय प्रतियोगिता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने से ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	1. प्रभाग प्रमुख- **अध्यक्ष** 2. दो समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी - **सदस्य**	

	(घ) डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी स्कीम के अनुसार ओपन मार्केट से सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: (1) प्रोन्नति हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा की स्कीम डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुरूप होगी। (2) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों की सीधी भर्ती तथा ओपन मार्केट से सीधी भर्ती की स्कीम डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुरूप होगी।			

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान**	**चयन अथवा गैर-चयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु-सीमा और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं**
1	2	3	4	5	6	7	8
2. मेलगार्ड	1870* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 3 (21700-69100 रू)	अचयन	(i) 18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण**: (i) आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग,	(i) किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास (ii) संबंधित राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र की स्थानीय भाषा की जानकारी। अभ्यर्थी ने 10वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा का अध्ययन किया हो। राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की स्थानीय भाषा वही	नहीं

					हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए विहित की गई है)। (ii) ग्रामीण डाक सेवकों* के लिए आयु सीमा रिक्तियों वाले वर्ष की पहली जनवरी को पचास वर्ष अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबद्ध उम्मीदवारों के लिए पांच वर्ष तक की छूट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष तक की छूट प्राप्त है)। *ग्रामीण डाक सेवक सिविल पद धारक हैं परन्तु वे नियमित सिविल सेवा से बाहर हैं जिसके कारण उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा होगी।	होगी, जो डाक विभाग द्वारा प्रकाशित की गई हो। (iii) कंप्यूटर पर कार्य करने संबंधी जानकारी।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जानी वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**	**प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
9	10	11	12	13
सीधी भर्ती के मामले में : दो वर्ष और डाक विभाग द्वारा विहित अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	(i) 25% भर्ती करने वाले रेल मेल सेवा प्रभाग के ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृन्द में से ज्येष्ठता और स्वस्थता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर बिना भरी गई रिक्तियों को नीचे (iii) पर दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा; (ii) (क) 50% भर्ती करने वाले रेल मेल सेवा प्रभाग के बहुकार्य कर्मचारिवृंद में से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर;- (ख) सर्कल के भर्ती करने वाले अन्य सभी रेल मेल सेवा प्रभागों के बहुकार्य कर्मचारिवृंद में	(i) रिक्ति वर्ष की पहली जनवरी को वेतन मेट्रिक्स के स्तर-1 में बहुकार्य कर्मचारिवृंद के रूप में छः वर्ष की नियमित सेवा के साथ अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ज्येष्ठता-सह-स्वस्थता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि पर विचार करने के लिए): 1. प्रभाग प्रमुख -अध्यक्ष 2. दो समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

	से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर (ग) सर्कल के डाक प्रभागों के बहुकार्य कर्मचारिवृन्द में से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर बिना भरी गई रिक्तियों को नीचे (iii) पर दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा; (iii) (क) 25% भर्ती करने वाले रेल मेल सेवा प्रभाग के ऐसे ग्रामीण डाक सेवकों* के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा, जिन्होंने रिक्ति वाले वर्ष की पहली जनवरी को इस क्षमता के साथ कम से कम पांच वर्ष तक नियमित सेवा अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य किया हो, जिसके न हो सकने पर;- (ख) सर्कल के अन्य सभी रेल मेल सेवा प्रभागों के ऐसे ग्रामीण डाक सेवकों* के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा, जिन्होंने रिक्ति वाले वर्ष की पहली जनवरी को इस क्षमता के साथ कम से कम पांच वर्ष तक नियमित सेवा की हो अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया हो, जिसके न हो सकने पर; (ग) सर्कल के सभी डाक प्रभागों के ऐसे ग्रामीण डाक सेवकों* के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा, जिन्होंने रिक्ति वाले वर्ष की पहली जनवरी को इस क्षमता के साथ कम से कम पांच वर्ष तक नियमित सेवा की हो अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया हो, जिसके न हो सकने पर; (घ) डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी स्कीम के अनुसार ओपन मार्केट से सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** (1) प्रोन्नति हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा की स्कीम डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुरूप होगी।	(ii) रिक्ति वर्ष की पहली जनवरी को वेतन मेट्रिक्स के स्तर-1 में बहुकार्य कर्मचारिवृंद के रूप में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सीमित विभागीय प्रतियोगिता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने से ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

	(2) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों की सीधी भर्ती तथा ओपन मार्केट से सीधी भर्ती की स्कीम डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुरूप होगी।			

[फा. सं. 03-02/2017-एसपीबी-I]

जी. राजीव, निदेशक (एसपीएन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPARTMENT OF POSTS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2018

G.S.R 899(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supe**rsession of the Department of Posts (Postman and Mail Guard) Recruitment Rules, 2010 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of** Postman and Mail Guard in the Department of Posts, Ministry of Communications, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Department of Posts Postman and Mail Guard (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.—**The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—** No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other ground for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Recruitment to serve in the Army Postal Service.—**Any person appointed to the posts specified in the Schedule shall be liable to serve in the Army Postal Service in India or abroad, as required.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Postman.	45899* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3 in the pay matrix. (Rs. 21700 to Rs. 69100)	Non-selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.**	**Period of probation, if any**
(6)	(7)	(8)	(9)
(i) Between 18 and 27 years. (Relaxable for candidates belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Castes and for Government servants in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). (ii) The age limit for appointment of Gramin Dak Sevaks* shall be fifty years as on the 1st day of January of the year to which the vacancy (ies) belong to or as per the Government of India guidelines issued from time to time (Relaxable for those belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe up to five years	(i) 12th standard pass from a recognized Board. (ii) Knowledge of local language of the concerned State or Union territory. The candidate should have studied local language at least upto 10th standard. The local language of a State or Union territory shall be as published by Department of Posts. (iii) Knowledge of working on Computer. (iv) Candidates should have a valid license of two-wheeler or light motor vehicle. Persons with Disability may be exempted from the possession of licence.	No	For Direct Recruits: Two years and successful completion of the mandatory training prescribed by the Department of Posts.

and for those belonging to other Backward Castes up to three years). *Gramin Dak Sevaks are holders of Civil posts but they are outside the regular Civil Service due to which their appointment shall be treated as direct recruitment.			

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 25% by promotion by seniority cum fitness of Multi Tasking Staff of the recruiting Postal Division, failing which, the unfilled vacancies shall be added to the number of vacancies to be filled as per (iii) below; (ii) (a) 25% by promotion from Multi Tasking Staff of the recruiting Postal Division on the basis of Limited Departmental Competitive Examination, failing which;- (b) By promotion from Multi Tasking Staff of all other Postal Divisions of the Circle on the basis of Limited Departmental Competitive Examination, failing which;- (c) By promotion from Multi Tasking Staff of Railway Mail Service Divisions of the Circle on the basis of Limited Departmental Competitive Examination, failing which, the unfilled vacancies shall be added to the number of vacancies to be filled as per (iii) below;- (iii) (a) 50% by direct recruitment on the basis of Competitive	(i) Multi Tasking Staff in Level-1 of the pay matrix with six years regular service in the grade as on the 1st day of January of the year to which the vacancy(ies) belong to or as per the guidelines issued by Government of India from time to time for promotion by Seniority-cum-fitness. (ii) Multi Tasking Staff in Level-1 of the pay matrix with three years regular service in the grade as on the 1st day of January of the year to which the vacancy(ies) belong to or as per the guidelines issued by Government of India from time to time for promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination. **Note:** Where juniors who have completed	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion / confirmation)** 1. Divisional Head —Chairperson 2. Two Group 'B' (Gazetted) Officer —Members	Not applicable

Examination limited to Gramin Dak Sevaks* of the recruiting Postal Division, who have worked regularly for five years in that capacity, as on the 1st day of January of the year to which the vacancy(ies) belong to or as per the guidelines issued by Government of India from time to time, failing which;- (b) By direct recruitment on the basis of Competitive Examination limited to Gramin Dak Sevaks* of all other Postal Divisions of the Circle, who have worked regularly for five years in that capacity as on the 1st day of January of the year to which the vacancy(ies) belong to or as per the guidelines issued by Government of India from time to time, failing which;- (c) By direct recruitment on the basis of Competitive Examination limited to Gramin Dak Sevaks* of all Railway Mail Service Divisions of the Circle, who have worked regularly for five years in that capacity as on the 1st day of January of the year to which the vacancy (ies) belong to or as per the guidelines issued by Government of India from time to time, failing which;- (d) By direct recruitment from open market as per the scheme circulated by the Department of Posts from time to time; **Note:-** 1: The scheme for Limited Departmental Competitive Examination for promotion shall be as per the administrative instructions issued by the Department of Posts from time to time.	their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

2: The scheme for direct recruitment of Gramin Dak Sevaks on the basis of Competitive Examination and direct recruitment from open market shall be as per administrative instructions issued by the Department of Posts from time to time.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Mail Guard.	1870* (2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3 in the pay matrix (Rs. 21700 to Rs. 69100)	Non-selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
(i) Between 18 and 27 years. (Relaxable for candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Castes and for Government servants of different categories in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). (ii) The age limit for appointment of Gramin Dak Sevaks* shall be fifty years as on the 1st day of	(i) 12th standard pass from a recognized Board. (ii) Knowledge of local language of the concerned State or Union territory. The candidate should have studied the local language at least upto 10th standard. The local language of a State or Union territory shall be as published by Department of Posts. (iii) Knowledge of working on Computer.	No	For Direct Recruits: Two years and successful completion of the mandatory training prescribed by the Department of Posts.

January of the year to which the vacancy (ies) belong to or as per the Government of India guidelines issued from time to time (Relaxable for those belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe up to five years and for those belonging to other Backward Castes up to three years). *Gramin Dak Sevaks are holders of Civil posts but they are outside the regular Civil Service due to which their appointment shall be treated as direct recruitment.			

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 25% by promotion by seniority cum fitness of Multi Tasking Staff of the recruiting Railway Mail Service Division, failing which, the unfilled vacancies shall be added to the number of vacancies to be filled as per (iii) below; (ii) (a) 50% by promotion from Multi Tasking Staff of the recruiting Railway Mail Service Division, on the basis of Limited Departmental Competitive Examination, failing which;- (b) By promotion from Multi Tasking Staff of all other Railway Mail Service Divisions of the Circle on the basis of Limited Departmental Competitive Examination, failing which;- (c) By promotion from Multi Tasking Staff of Postal Divisions of the Circle on the basis of Limited Departmental Competitive Examination, failing which, the unfilled vacancies shall be added to the number of vacancies to be filled as per (iii) below;-	(i) Multi Tasking Staff in Level-1 of the pay matrix with six years regular service in the grade as on the 1st day of January of the year to which the vacancy(ies) belong to or as per the guidelines issued by Government of India from time to time for promotion by Seniority-cum-fitness. (ii) Multi Tasking Staff in Level-1 of the Pay Matrix with three years regular service as on the 1st day of January of the year to which the vacancy(ies) belong to or as per the guidelines issued by Government of India from time to time for promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination. **Note:** Where juniors who have completed	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion / confirmation)** 1. Divisional Head —Chairperson 2. Two Group 'B' (Gazetted) Officer —Members	Not applicable

(iii) (a) 25% by direct recruitment on the basis of Competitive Examination limited to Gramin Dak Sevaks* of the recruiting Railway Mail Service Division, who have worked regularly for five years in that capacity as on the 1st day of January of the year to which the vacancy(ies) belong to or as per the guidelines issued by Government of India from time to time, failing which;- (b) By direct recruitment on the basis of Competitive Examination limited to Gramin Dak Sevaks* of all other Railway Mail Service Divisions of the Circle, who have worked regularly for five years in that capacity as on the 1st day of January of the year to which the vacancy(ies) belong to or as per the guidelines issued by Government of India from time to time, failing which;- (c) By direct recruitment on the basis of Competitive Examination limited to Gramin Dak Sevaks* of all Postal Divisions of the Circle, who have worked regularly for five years in that capacity as on the 1st day of January of the year to which the vacancy(ies) belong to or as per the guidelines issued by Government of India from time to time, failing which;- (d) By direct recruitment from open market as per the scheme circulated by the Department of Posts from time to time; **Note:-** 1: The scheme for Limited Departmental Competitive	their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

Examination for promotion shall be as per the administrative instructions issued by the Department of Posts from time to time. 2: The scheme for direct recruitment of Gramin Dak Sevaks on the basis of Competitive Examination and direct recruitment from open market shall be as per administrative instructions issued by the Department of Posts from time to time.			

[F. No. 03-02/2017-SPB-I]

G. RAJEEV, Director (SPN)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082023-248441
CG-DL-E-31082023-248441

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 31, 2023/भाद्र 9, 1945
No. 498]	NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 2023/BHADRA 9, 1945

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 638(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाक विभाग पोस्टमैन और मेलगार्ड (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग पोस्टमैन और मेलगार्ड (समूह 'ग' पद)भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये नियम, राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. डाक विभाग, पोस्टमैन और मेलगार्ड (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची में, -

(क) पोस्टमैन के पद से संबंधित क्रमांक संख्या 1 के सामने,

I. स्तंभ (7) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखीं जाएंगी, अर्थात् :-

"(i) डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और अन्य सभी के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।

(ii) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।

(iii) संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा का ज्ञान।

(iv) उम्मीदवार के पास दोपहिया या हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस होना चाहिए:

परन्तु यह कि दिव्यांगजनों को इस प्रकार के लाइसेंसधारक होने संबंधी शर्त से छूट दी जाएगी।

टिप्पण 1.- डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार विनिर्दिष्ट होगी।

टिप्पण 2.- संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा का ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र होगा। तथापि, नियुक्ति के पश्चात ऐसे व्यक्ति को संबंधित डाक सर्कल द्वारा तय की गई रीति से आयोजित की जाने वाली स्थानीय भाषा संबंधी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा को उत्तीर्ण करना परिवीक्षा पूरी करने की पूर्व-शर्त होगी :

परन्तु यह कि वह उम्मीदवार जिसने 10वीं या उससे ऊपर की कक्षा में एक विषय के रूप में संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उसे ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा से छूट दी जाएगी :

परन्तु यह और कि ग्रामीण डाक सेवक को ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा से छूट प्रदान की जाएगी।

टिप्पण 3.- जिस उम्मीदवार के पास दोपहिया या हल्के मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस नहीं है, वह भी नियुक्ति के लिए पात्र होगा, तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जो नियुक्ति के समय, दोपहिया या हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस धारक नहीं हैं, उनको ऐसा लाइसेंस प्रस्तुत करने तक या नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो, आवधिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी और ऐसा लाइसेंस प्रस्तुत करने पर या पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, उसके वेतन को उत्तरव्यापी प्रभाव से वेतन के उस स्तर पर पुनर्निधारित किया जाएगा, जिस स्तर पर वह आवधिक वेतन वृद्धि नहीं रोके जाने पर पहुँच चुका होता और इस बीच की अवधि के लिए, वेतन की किसी भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। ";

II. स्तंभ (9) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखीं जाएंगी, अर्थात् :-

"सीधी भर्ती के मामले में: दो वर्ष और डाक विभाग द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो और स्तंभ (7) के अधीन उल्लिखित स्थानीय भाषा परीक्षा उत्तीर्ण की हो।";

III. स्तंभ (10) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्: -

“(i) 50 प्रतिशत पद, भर्ती करने वाले डाक सर्कल के बहुकार्य कर्मचारी वृंद में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, ऐसा न होने पर, इन रिक्तियों को नीचे (ii) के अनुसार भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा;

(ii) 50 प्रतिशत पद, भर्ती करने वाले डाक सर्कल के केवल उन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, जिन डाक सेवकों ने उस रिक्ति वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन तक या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उस पद पर नियमित रूप से पांच साल तक कार्य किया हो, ऐसा न होने पर, ये पद डाक विभाग द्वारा समय-समय पर परिचालित की जाने वाली योजना के अनुसार खुली प्रतियोगिता (ओपन मार्केट) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।

टिप्पण 1.- प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की योजना डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेशों के अनुरूप होगी, जिसमें संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा और डाटा एंट्री कौशल परीक्षा भी शामिल होगी।

टिप्पण 2.- केवल ग्रामीण डाक सेवकों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा और खुले बाजार से सीधी भर्ती संबंधी प्रतियोगी परीक्षा की योजना, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुरूप होगी, जिसमें संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा और डाटा एंट्री कौशल परीक्षा भी शामिल होगी।

टिप्पण 3.- डाक विभाग, प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से एक या अधिक डाक सर्कलों के उन ग्रामीण डाक सेवकों को दिल्ली डाक सर्कल में नियुक्ति के लिए अनुमति दे सकता है, जो अन्यथा, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार पात्र हैं और ऐसी नियुक्ति, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित नियमों और शर्तों के अध्यधीन होगी।";

IV. स्तंभ (11) के तहत, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् : -

"सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति :

(i) रिक्ति वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन तक या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में बहु कार्य कर्मचारी वृंद के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा; और

(ii) रिक्ति वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन तक या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में बहु कार्य कर्मचारी वृंद के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक के रूप में नियमित रूप से प्रदान की गई सेवा शामिल है।

टिप्पण 1.- जहां किसी कनिष्ठ जिसने अर्हक सेवा पूरी कर ली है और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र है, वहाँ उसके ज्येष्ठ भी ऐसी परीक्षा के लिए पात्र होंगे:

परन्तु ज्येष्ठ और कनिष्ठ दोनों को एक ही भर्ती प्रणाली से भर्ती किया गया हो और वे वर्तमान पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति से पूर्व एक ही पोषक प्रवर्ग में रहे हों;

परन्तु यह और कि उक्त ज्येष्ठ द्वारा की गई ऐसी सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा अवधि के आधे या उससे अधिक अवधि या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उसने अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2.- टिप्पण 1 की शर्त ऐसे कनिष्ठ कार्मिक के संदर्भ में लागू नहीं होगी, जिसने डाक नियम पुस्तिका खण्ड-IV के नियम 38 के अधीन स्थानांतरण का लाभ उठाने के बाद अपनी ज्येष्ठता खो दी है।

टिप्पण 3.- किसी अधिकारी की पात्रता मूल रूप से धारित पद और वेतन मैट्रिक्स में पद के प्रासंगिक वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित की जाएगी, न कि उस स्तर के आधार पर, जिसमें वह अधिकारी पात्रता के संबंध में निर्धारित तारीख को समयबद्ध एक प्रोन्नति, द्विवार्षिक संवर्ग समीक्षा या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति के अधीन वित्तीय उन्नयन के आधार वेतन आहरित कर रहा हो।";

(ख) मेल गार्ड पद से संबंधित क्रमांक 2 के सामने,

I. स्तंभ (7) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् : -

“(i) डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और अन्य सभी के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।

(ii) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान; और

(iii) संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा का ज्ञान।

टिप्पण 1.- डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार विनिर्दिष्ट होगी।

टिप्पण 2.- संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा का ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र होगा। तथापि, नियुक्ति के पश्चात ऐसे व्यक्ति को संबंधित डाक सर्कल द्वारा तय की गई रीति से आयोजित की जाने वाली स्थानीय भाषा संबंधी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा को उत्तीर्ण करना परिवीक्षा पूरी करने की पूर्व-शर्त होगी :

परन्तु यह कि वह व्यक्ति जिसने 10वीं या उससे ऊपर की कक्षा में एक विषय के रूप में संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उसे ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा से छूट दी जाएगी:

परन्तु यह और कि ग्रामीण डाक सेवक को ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा से छूट प्रदान की जाएगी।”;

II. स्तंभ (9) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् : -

"सीधी भर्ती के मामले में: दो वर्ष और डाक विभाग द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो और स्तंभ (7) के तहत उल्लिखित स्थानीय भाषा परीक्षा को उत्तीर्ण की हो।";

III. स्तंभ (10) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(i) 50 प्रतिशत पद, भर्ती करने वाले डाक सर्कल के बहु कार्य कर्मचारी वृंद में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, ऐसा न होने पर, इन रिक्तियों को नीचे (ii) के अनुसार भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा ;

(ii) 50 प्रतिशत पद, भर्ती करने वाले डाक सर्कल के केवल उन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, जिन डाक सेवकों ने उस रिक्ति वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन तक या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उस पद पर नियमित रूप से पांच साल तक कार्य किया हो, ऐसा न होने पर, ये पद डाक विभाग द्वारा समय-समय पर परिचालित की जाने वाली योजना के अनुसार खुली प्रतियोगिता (ओपन मार्केट) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।

टिप्पण 1.- प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की योजना डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेशों के अनुरूप होगी, जिसमें संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा और डाटा एंट्री कौशल परीक्षा भी शामिल होगी।

टिप्पण 2.- केवल ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा और खुले बाजार से सीधी भर्ती संबंधी प्रतियोगी परीक्षा की योजना डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुरूप होगी, जिसमें संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा और डाटा एंट्री कौशल परीक्षा भी शामिल होगी।

टिप्पण 3.- डाक विभाग, प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से, एक या अधिक डाक सर्कलों के उन ग्रामीण डाक सेवकों को दिल्ली डाक सर्कल में नियुक्ति के लिए अनुमति दे सकता है, जो अन्यथा, इन नियमों के उपबंधों के

अनुसार पात्र हैं और ऐसी नियुक्ति, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित नियमों और शर्तों के अध्यधीन होगी।";

IV. स्तंभ (11) के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् : -

"सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति :

(i) रिक्ति वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन तक या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में बहु कार्य कर्मचारी वृंद के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा; और

(ii) रिक्ति वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन तक या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में बहु कार्य कर्मचारी वृंद के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक के रूप में नियमित रूप से प्रदान की गई सेवा शामिल है ।

टिप्पण 1.- जहां किसी कनिष्ठ जिसने अर्हक सेवा पूरी कर ली है और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र है, वहाँ उसके ज्येष्ठ भी इसके लिए पात्र होंगे:

परन्तु ज्येष्ठ और कनिष्ठ, दोनों को एक ही भर्ती प्रणाली से भर्ती किया गया हो और वे वर्तमान पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति से पूर्व एक ही पोषक प्रवर्ग में रहे हों;

परन्तु यह और कि उक्त ज्येष्ठ द्वारा की गई ऐसी सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा अवधि के आधे या उससे अधिक अवधि या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उसने अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2.- टिप्पण 1 की शर्त ऐसे कनिष्ठ कार्मिक के संदर्भ में लागू नहीं होगी, जिसने डाक नियम पुस्तिका खण्ड- IV के नियम 38 के अधीन स्थानांतरण का लाभ उठाने के बाद अपनी ज्येष्ठता खो दी है।

टिप्पण 3.- किसी अधिकारी की पात्रता मूल रूप से धारित पद और वेतन मैट्रिक्स में पद के प्रासंगिक वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित की जाएगी, न कि उस स्तर के आधार पर, जिसमें वह अधिकारी पात्रता के संबंध में निर्धारित तारीख को, समयबद्ध एक प्रोन्नति, द्विवार्षिक संवर्ग समीक्षा या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति के अधीन वित्तीय उन्नयन के आधार वेतन आहरित कर रहा हो।"।

[फा. सं. डब्ल्यू-03/3/2022-एसपीएन–I]

जगदीप गुप्ता, उप महानिदेशक

टिप्पण : मूल नियम भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में 20 सितंबर, 2018 के सा.का.नि. संख्या 899(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात 05 मार्च, 2020 के सा.का.नि. संख्या 157(अ) के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Departmernt of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2023

G.S.R. 638(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Posts Postman and Mail Guard (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2018, namely:-

1. (1) These rules may be called the Department of Posts Postman and Mail Guard (Group 'C' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Posts Postman and Mail Guard (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2018, in the Schedule,–

(a) against serial number 1 relating to the post of Postman, -

I. under column (7), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"(i) 10th standard pass from a recognized Board for the persons who are working as Gramin Dak Sevak in the Department of Posts and 12th standard pass from a recognized Board for all others.

(ii) Knowledge of working on Computer.

(iii) Knowledge of local language of the concerned Postal Circle or Division.

(iv) Possessing a valid license to drive two-wheeler or light motor vehicle:

Provided that Persons with Benchmark Disability shall be exempted from the possession of such license.

Note 1.- Local language of a Postal Circle or Division shall be as per administrative instructions issued by the Department of Posts from time to time.

Note 2.- A person not possessing the knowledge of local language of the Postal Circle or Division concerned shall also be eligible for appointment, however, such person after appointment shall pass local language test to be conducted in the manner as may be decided by the Postal Circle concerned and passing of such local language test shall be a pre-condition for completion of probation:

Provided that a person who has passed local language of the Postal Circle or Division concerned as one of the subjects in 10th standard or above shall be exempted from such local language test:

Provided further that Gramin Dak Sevak shall be exempted from such local language test.

Note 3.- A person not possessing a valid license to drive two-wheeler or light motor vehicle shall also be eligible for appointment, however, such person not having valid license to drive two-wheeler or light motor vehicle at the time of appointment shall not earn periodical increment in pay till production of such license or for a period of five years from the date of appointment, whichever is earlier and after production of such license or expiry of such five years period, pay shall be restored prospectively to the level pay would have reached had the periodical increment in pay was not withheld and no arrears of pay shall be paid for the intervening period.";

II. under column (9), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"For Direct Recruits: Two years and successful completion of the mandatory training prescribed by the Department of Posts and passing of local language test as mentioned under column (7).";

III. under column (10), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"(i) 50 per cent by promotion of Multi Tasking Staff of the recruiting Postal Circle on the basis of Limited Departmental Competitive Examination, failing which, the unfilled vacancies shall be added to the number of vacancies to be filled as per (ii) below;

(ii) 50 per cent by direct recruitment on the basis of Competitive Examination limited to Gramin Dak Sevaks of the recruiting Postal Circle, who have worked regularly for five years in that capacity, as on the 1st day of January of the year to which the vacancy belong to or as per the guidelines issued by the Central Government from time to time, failing which by direct recruitment from open market as per the scheme circulated by the Department of Posts from time to time.

Note 1.- The scheme for Limited Departmental Competitive Examination for promotion shall be as per the administrative instructions issued by the Department of Posts from time to time which may also include test of local language of the concerned Postal Circle or Division and Data Entry Skill Test.

Note 2.-The scheme for competitive examination limited to Gramin Dak Sevaks and competitive examination for direct recruitment from open market shall be as per administrative instructions issued by the Department of Posts from time to time which may also include test of local language of the concerned Postal Circle or Division and Data Entry Skill Test.

Note 3.- Department of Posts, through administrative instructions, may allow Gramin Dak Sevaks of one or more Postal Circles, who are otherwise eligible under these rules, for appointment in Delhi Postal Circle and

such appointment shall be subject to such terms and conditions as may be decided by the Department of Posts from time to time.”;

IV. under column (11), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination:

(i) Multi Tasking Staff in level-1 of the pay matrix with three years regular service in the grade as on the 1st day of January of the year to which the vacancy belong to or as per the guidelines issued by the Central Government from time to time; and

(ii) Multi Tasking Staff in level-1 of the pay matrix with total regular service of five years including service rendered regularly as Gramin Dak Sevaks as on the 1st day of January of the year to which the vacancy belong to or as per the guidelines issued by the Central Government from time to time.

Note 1.- Where junior who has completed qualifying service is eligible for Limited Departmental Competitive Examination or Competitive Examination their senior will also be eligible for such examination:

Provided that both the senior and junior were recruited through same mode of recruitment and were holding same feeder cadre prior to appointment to the present post on regular basis:

Provided further that senior is not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and has successfully completed probation period for promotion to the next higher grade.

Note 2.- The condition in Note 1 shall not apply with reference to such junior official who has lost seniority after availing transfer under rule 38 of the Postal Manual Volume- IV.

Note 3.- Eligibility of an official shall be determined with respect to the post held substantively and relevant pay level of the post in pay matrix and not with respect to the level in which an official is drawing pay as on the crucial date of eligibility by virtue of financial upgradation under the Time Bound One Promotion, Biennial Cadre Review or Modified Assured Career Progression.”;

(b) against serial number 2 relating to the post of Mail Guard, -

I. under column (7), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“(i) 10th standard pass from a recognized Board for the persons who are working as Gramin Dak Sevak in the Department of Posts and 12th standard pass from a recognised Board for all others.

(ii) Knowledge of working on Computer.

(iii) Knowledge of local language of the concerned Postal Circle or Division.

Note 1.- Local language of a Postal Circle or Division shall be as per administrative instructions issued by the Department of Posts from time to time.

Note 2.- A person not possessing the knowledge of local language of the Postal Circle or Division concerned shall also be eligible for appointment, however, such person after appointment shall pass local language test to be conducted in the manner as may be decided by the Postal Circle concerned and passing of such local language test shall be a pre-condition for completion of probation:

Provided that a person who has passed local language of the Postal Circle or Division concerned as one of the subjects in 10th standard or above shall be exempted from such local language test:

Provided further that Gramin Dak Sevak shall be exempted from such local language test.”;

II. under column (9), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“For Direct Recruits: Two years and successful completion of the mandatory training prescribed by the Department of Posts and passing of local language test as mentioned under column (7).”;

III. under column (10), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“(i) 50 per cent by promotion of Multi Tasking Staff of the recruiting Postal Circle on the basis of Limited Departmental Competitive Examination, failing which, the unfilled vacancies shall be added to the number of vacancies to be filled as per (ii) below;

(ii) 50 per cent by direct recruitment on the basis of Competitive Examination limited to Gramin Dak Sevaks of the recruiting Postal Circle, who have worked regularly for five years in that capacity, as on the 1st day of January of the year to which the vacancy belong to or as per the guidelines issued by the Central Government from time to time, failing which by direct recruitment from open market as per the scheme circulated by the Department of Posts from time to time.

Note 1.- The scheme for Limited Departmental Competitive Examination for promotion shall be as per the administrative instructions issued by the Department of Posts from time to time which may also include test of local language of the concerned Postal Circle or Division and Data Entry Skill Test.

Note 2.- The scheme for competitive examination limited to Gramin Dak Sevaks and competitive examination for direct recruitment from open market shall be as per administrative instructions issued by the Department of Posts from time to time which may also include test of local language of the concerned Postal Circle or Division and Data Entry Skill Test.

Note 3.- Department of Posts, through administrative instructions, may allow Gramin Dak Sevaks of one or more Postal Circles, who are otherwise eligible under these rules, for appointment in Delhi Postal Circle and such appointment shall be subject to such terms and conditions as may be decided by the Department of Posts from time to time.";

IV. under column (11), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination:

(i) Multi Tasking Staff in level-1 of the pay matrix with three years regular service in the grade as on the 1st day of January of the year to which the vacancy belong to or as per the guidelines issued by the Central Government from time to time; and

(ii) Multi Tasking Staff in level-1 of the pay matrix with total regular service of five years including service rendered regularly as Gramin Dak Sevaks as on the 1st day of January of the year to which the vacancy belong to or as per the guidelines issued by the Central Government from time to time.

Note 1.- Where junior who has completed qualifying service is eligible for Limited Departmental Competitive Examination or Competitive Examination their senior will also be eligible for such examination:

Provided that both the senior and junior were recruited through same mode of recruitment and were holding same feeder cadre prior to appointment to the present post on regular basis:

Provided further that senior is not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and has successfully completed probation period for promotion to the next higher grade.

Note 2.- The condition in Note 1 shall not apply with reference to such junior official who has lost seniority after availing transfer under rule 38 of the Postal Manual Volume- IV.

Note 3.- Eligibility of an official shall be determined with respect to the post held substantively and relevant pay level of the post in pay matrix and not with respect to the level in which an official is drawing pay as on the crucial date of eligibility by virtue of financial upgradation under the Time Bound One Promotion, Biennial Cadre Review or Modified Assured Career Progression.".

[F.No.W-03/3/2022-SPN-I]

JAGDEEP GUPTA, Dy. Director General

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 899(E), dated the 20th September, 2018 and subsequently amended *vide* G.S.R. 157(E), dated the 5th March, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.